न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 41/2023

प्रार्थीनी :
1. कुसुम कंवर पुत्री स्व. श्री बजरंग शिंह, जाति राजपूत, निवासी रासलियावास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज)

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. सवाईसिंह पुत्र श्री दातारसिंह,
2. दयालसिंह पुत्र श्री दातारसिंह,
3. हर्षसिंह पुत्र श्री सायरसिंह,
4. सीमा कंवर पुत्री श्री सायरसिंह,
5. विमला कवर पत्नी स्व. श्री बजरंगसिंह, जातियान राजपूत, निवासीगण रासलियावास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज.)
6. अमरसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह,
7. अर्जुनसिंह पुत्र श्री भागीरथसिंह,
8. भीमसिंह पुत्र श्री भागीरथसिंह,
9. कैलाश कंवर पत्नी श्री गणपतसिंह,
10. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह,
11. विजेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह,
12. किरण कंवर पत्नी श्री भगवतसिंह,
13. , महावीरसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह, जातियान राजपूत, निवारीगण रासलियावास, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर (राज,)
14. तहसीलदार रियांबडी
15. पटवारी हल्का चावण्डियां कलां
16. उप पंजीयक रियांबडी
17. अयोध्या कंवर पत्नि गणपतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पांचडोलिया तहसील मेडता

निर्णय

दिनांक 27/8/2024

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजरथान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि –

1. यह है कि प्रार्थीनी ने उपरोक्त अनुवान का एक वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं, जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित हैं, जिसमें प्रार्थीनी को कामयाबी मिलने की पूरी पूरी आशा हैं।
2. यह है कि एवं प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण सं. 4 ता 5 हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते हैं। जिनका सिजरा खानदान निम्न प्रकार से हैः

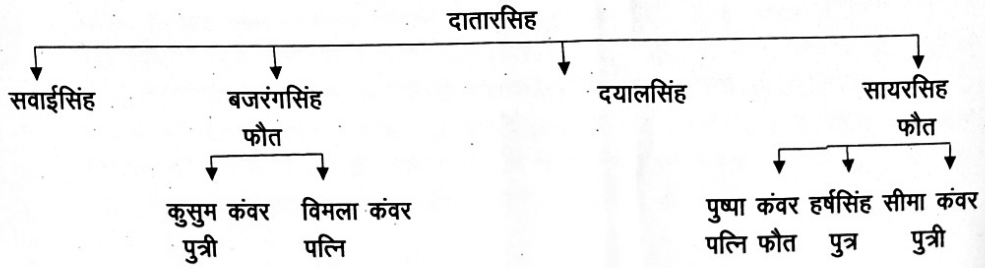

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी

3. यह है कि मौजा रासलियावास की सरहद में पुश्तैनी जमीन प्रार्थीनी के परदादा छोटूसिंह के नाम से आई हुई थी। छोटूसिंह के फौत होने पर प्रार्थनी के दादा दातारसिंह को उत्तराधिकार में जमीन प्राप्त हुई। प्रार्थीनी के दादा के चार लड़के सवाईसिंह, बजरंगसिंह, दयालसिंह व सायरसिंह है, जिसमें से प्रार्थीनी के पिता बजरंगसिंह व चाचा सायरसिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीनी के पिता बजरंगसिंह आर्मी में थे, जो सन 1988 में दौरानें ड्युटी फौत हो गये थे, प्रार्थीनी के पिता जी ड्युटी के दौरान मृत्यु होने से जो पैंसा प्रार्थीनी की माता विमला कंवर को मिला, उस पैंसे में से प्रार्थीनी की माता ने रासलियावास गांव में एक मकान बनाया और प्रार्थीनी के दादा दातारसिंह के उपर जो कर्जा था, उसे भी चुकाया, प्रार्थनी के दादा ने जो खेत हनुमानसिंह पुत्र सोहनसिंह के पास गिरवी रखा था, उसको भी प्रार्थीनी की माता ने छूड़ाया था, प्रार्थनी के दादा के जीवन काल में ही खेतों का व बाड़ों का बराबर 4 4–1 4 हिस्सा के अनुसार बंटवाड़ा कर लिया था, जिसमें प्रार्थीनी के पिता बजरंगसिंह का भी 1/4 हिस्सा आता है। प्रार्थीनी व प्रार्थीनी की माता जयपुर रहती है, जब भी जयपुर से ग्राम रासलियावास में रिश्तेदारी में, शादी विवाह, मौत मरकट होती है, तो आते है, तो प्रार्थीनी की माता के द्वारा बनाये गये मकान में ही रहती है।

4. यह है कि प्रार्थीनी के दादा दातारसिंह की मृत्यु होने पर प्रार्थीनी व प्रार्थीनी की माता दिनांक 01–02–2023 को गांव रासलियावास आये, तो प्रार्थीनी के मकान का ताला तोड़कर अप्रार्थी सवाईसिंह, इचरज कंवर, दयालसिंह, अंजु कंवर, मगन कंवर, अजयसिंह, हर्ष आदि ने मकान पर कब्जा कर लिया। प्रार्थीनी के दादा की मृत्यु होने से उनके 12 दिन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसलिए प्रार्थीनी की माता ने उस समय कुछ नहीं कहा, दिनांक 04–02–2023 को जब प्रार्थीनी के दादा जी की गंगाजली होने के बाद प्रार्थीनी व प्रार्थीनी की माता ने अप्रार्थी सं. 41 से 4 को कहा कि दादा जी की जमीन में व बाड़े में हमारा बंट दे दो व मेरे पिता जी की मृत्यु के पश्चात जो पैंसा मिला, उस पैंसे से मेरी मां ने जो मकान बनवाया, वो मकान खाली करके हमें दे दो। तो सभी अप्रार्थीगण सं. 4 से 4 ने प्रार्थनी व उसकी माता को मां बहन की गालियां निकाली और ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हें कुछ भी बंट में नहीं देगें और अगर बंट की मांग की, तो जान से मार देगें।

5. यह है कि प्रार्थीनी व प्रार्थीनी की माता व प्रार्थनी के ननिहाल से आये रिश्तेदारों को घर से बाहर निकाल दिया, तब प्रार्थीनी व प्रार्थीनी की माता व रिश्तेदार पाड़ोसी दलेलसिंह के घर पर रुके, सभी रिश्तेदारों व गांव वालों ने अप्रार्थगण को समझाया कि प्रार्थीनी के पिता बजरंगसिंह का जो भी बंट है, वह दे दो, लेकिन अप्रार्थगण ने इंकार कर दिया और ऐलानिया धमकी दी कि प्रार्थीनी व उसकी माता विमला कंवर को जान से मारकर ही दम लेगें।

6. यह है कि प्रार्थीनी के दादा दातारसिंह जी के द्वारा पूर्व में खसरा नं. 130 रकबा 1.2400 हैक्टेयर जो जमीन 21,00,000 – रूपये में अयोध्या कंवर को बेची थी, उसका भी अप्रार्थीगण ने 1/3 हिस्सा के हिसाब से बंट करके पैंसे ले लिये, प्रार्थीनी को उसके पिता के बंट के पैंसे नहीं दिये और अभी वर्तमान में भी प्रार्थनी के दादा दातारसिंह की मृत्यु के कुछ दिन पहले जो जमीन 18,00,000 / – रूपये में किरण कंवर को बेचान की है, जिसका भी अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने आपस में बंट करके पैंसे प्राप्त कर लिये। अप्रार्थी सवाईसिंह ने बदनियति से 2 बीघा जमीन अपने अकेले के नाम करवा ली और प्रार्थीनी के पिता बजरंगसिंह के बंट के पैंसे भी हड़प कर लिये। इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थीनी के साथ अन्याय किया है, प्रार्थीनी के साथ धोखाधड़ी की है, जिससे प्रार्थीनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसलिए प्रार्थीनी द्वारा अपने पिता जी के हिस्से की बंट की जमीन प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। सो प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीनी के दादा द्वारा जो जमीन पूर्व में बेचान की थी, उस जमीन के बेचाननामा की प्रतियां पेश कर दी जायेगी

7. यह है कि मौजा रासलियावास की सरहद में स्थित खेत व खसरां नं. 130 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, खसरा नं. 161 रकबा 14.6000 हैक्टेयर में से 9,//1825 हिस्सा व 4,/1825 हिस्सा की भूमि व 182 रकबा 2.3100 हैक्टेयरय व खसरा नं. 184 रकबा 1.7800 हैक्टेयर कुल रकबा 4.0900 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा की भूमि प्रार्थीनी के दादा दातारसिंह की खातेदारी की थी, जिसमें खसरा नं. 161 रकबा 14.6000 हैक्टेयर में से 9,/1825 हिस्सा की भूमि अप्रार्थी सं. 1 सवाईसिंह ने प्रार्थीनी के दादा की सोचने समझाने की शक्ति क्षीण होने से उन्हें मुगालते में रखकर अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि उक्त खसरान की भूमि पैतृक भूमि है, जो प्रार्थीनी के पिता बजरंगसिंह के बंट में रखी हुई थी।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़
जिला–नागौर

यह है कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने बदनियतिपूर्वक पूर्व में दातारसिंह की जमीन का बेचान करके अपने अपने हिस्से की राशि प्राप्त कर ली है और उस राशि में प्रार्थीनी के पिता बजरंगसिंह का किसी प्रकार का कोई बंट प्रार्थीनी व उसकी माता को नहीं दिया है। जिससे प्रार्थीनी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है।

9. यह है कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 बदनियति पर आमादा है और प्रार्थीनी को उसके बंट की भूमि से मेहरूम करना चाहते है और प्रार्थीनी को उक्त खसरा की भूमि में से किसी प्रकार का कोई बंट देना नहीं चाहते है। जिससे प्रार्थीनी को अपने हक हिस्से के लिए उक्त वाद पेश करना लाजमी होने से उक्त वाद पेश हैं।

10. यह है कि अभी दिनांक 04—02—2023 को जब प्रार्थीनी के दादा जी की गंगाजली होने के बाद प्रार्थीनी व प्रार्थीनी की माता ने अप्रार्थी सं. 1 से 4 को कहा कि दादा जी की जमीन में व बाड़े में हमारा बंट दे दो व मेरे पिता जी की मृत्यु के पश्चात जो पैंसा मिला, उस पैंसे से मेरी मां ने जो मकान बनवाया, वो मकान खाली करके हमें दे दो। तो सभी अप्रार्थीगण सं. 4 से 4 ने प्रार्थीनी व उसकी माता को मां बहन की गालियां निकाली और ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हें कुछ भी बंट में नहीं देगें और अगर बंट की मांग की, तो जान से मार देगें। जिससे प्रार्थीनी को यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हो गया। जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश है।

11. यह है कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के उपरोक्त गलत, नाजायज व गैरकानूनी कृत्य से प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है और प्रार्थीनी के हक, हकूको व अधिकारों पर कूठाराघात हो रहा है, यदि अप्रार्थीगण सं. 4 से 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नहीं रोका गया, तो अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 अपने नापाक इरादों में सफल हो जायेगें और विवादित खसरा की भूमि को अन्यत्र बेचान, हस्तान्तरण करेगें। जिससे पक्षकारों के मध्य विवाद बढ़ेगा और पक्षकारों व अदालतों का कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद होगा। जिससे यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

12. यह है कि मौजा रासलियावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 161 रकबा 14.60 हैक्टेयर में से 9/1825 व 4/1825, खसरा नंबर 182 रकबा 2.3100 हैक्टेयर व खसरा नं. 184 रकबा 1.7800 हैक्टेयर कुल रकबा 4.0900 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा प्रार्थीनी के पिता बजरंगसिंह की बंटसुदा है। परन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 प्रार्थीनी को उक्त बंट देना नहीं चाहते और प्रार्थीनी की भूमि को हड़प करना चाहते है, जिसका कि अप्रार्थगण सं. 1 से 4 को कोई हक व अधिकार नहीं है। जिससे उपरोक्त अनुसार प्रार्थीनी व अप्रार्थगण सं. 1 से 4 के मध्य बंटवाड़ा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, जिसके लिए वाद पेश कर दिया है।

13. यह है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी का बहुत मजबूत हैं, सुविधा का संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में हैं तथा सहूलियत पूरी प्रार्थीनी के पक्ष में हैं। अप्रार्थगण के उपरोक्त गलत व नाजायज एक्ट से प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही हैं, जो न तो आंकी जा सकती हैं और न ही पूरी की जा सकती हैं। जिससे अप्रार्थगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनी विरुद्ध अप्रार्थगण इस प्रकार जारी की जावे कि मौजा रासलियावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 130 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, खसरा नं. 161 रकबा 14.6000 हैक्टेयर में से 9/1825 हिस्सा व 4/1825 हिस्सा की भूमि व 182 रकबा 2.3100 हैक्टेयरं व खसरा नं. 184 रकबा 1.7800 हैक्टेयर कुल रकबा 4.0900 हैक्टेयर में से 1/12 हिस्सा प्रार्थीनी व अप्रार्थी सं. 5 की बंटसुदा भूमि में अप्रार्थगण किसी प्रकार की दखल व दस्त अन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावे तथा विवादित खसरा का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें तथा रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखें तथा विवादित खसरा के सम्बन्ध में किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर इकतरफा बहस सुनी गई। दिनांक 20.03.2023 को आगामी पेशी तक राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। पत्रावली में अप्रार्थी सं 5, 12 व 17 का जवाब पेश हो चुका है। पत्रावली बहस हेतु समय चाहा। अप्रार्थी 1 से 4 की तामील हो चुकी है। उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं 9 से 11 का वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली बहस सुनी गई और जवाब अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने जवाब में प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाने पर आपति एतराज नही व अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें दातारसिंहजी के नाम जमीन होना का

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

...थ्य सही है जो दातारसिंह जी की स्वअर्जित संपति है एवं दातारसिंह जी ने पारिवारिक जरूरतो व कर्ज चुकाने के लिये अपनी जमीन का बेचान किया था। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के बीच विवाद है। अन्य पक्षकारान के विरूद्व सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया है एवं अप्रार्थी के खरीदसुदा हिस्से पर स्थगन हटाया जावे एवं वाद डिगरी किये जाने का निवेदन किया। बकाया अप्रार्थी ने जवाब पेश नही किया। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व अस्थाई चाही है। अप्रार्थी संख्या 5 प्रार्थीनी की माता है एवं अन्य पक्षकारान को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया है। उनके विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। वकील अप्रार्थी संख्या 12 ने अपने बहस में कथन किया कि प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र व वाद में अप्रार्थिनी संख्या 12 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 12 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

वकुलाय की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र में केवल अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। उपरोक्त वादग्रस्त खसरान में प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का ही वादग्रस्त जमीन में बंटवाडा होना है। अन्य सहखातेदारान के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। इसलिये प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 20.03.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक......27/8/24......को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला-नागौर